न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. – 45/2017
दायर तिथि – 24.08.2017
तारीख फैसला – 27.09.2019

प्रार्थीगण :–

1. नारायणसिंह पुत्र शम्भूसिह
2. नारायणसिंह पुत्र सुमेलसिंह
3. गुलाब सिंह पुत्र सुमेलसिंह
4. उदयसिंह पुत्र सुमेलसिंह
5. लाबुसिंह पुत्र सुमेलसिंह
6. हडमतसिंह पुत्र सुमेलसिंह
7. भंवरसिंह पुत्र सुमेरलसिंह
   जातिगण – राजपूत, निवासी – जाखोडा
   तहसील सुमेरपुर, जिला–पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगणः–

1. भवानीसिंह पुत्र गुलाबसिंह
2. श्रीमती सुरज कुंवर
3. लादूसिंह पुत्र नाहरसिंह
4. अमरसिंह पुत्र भीमसिंह
5. नरपतसिंह पुत्र भीमसिंह
6. इन्दरसिंह पुत्र भीमसिंह
7. जवानसिंह पुत्र शेरसिंह
8. श्रीमती रसालकुंवर पत्नी चिमनसिंह
9. मांगुसिंह पुत्र चिमनसिंह
   जातिगण – राजपूत , निवासीगण – जाखोडा
   तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली (राजस्थान)।
10. श्रीमान् भूमिधारी (तहसीलदार) सुमेरपुर, जिला – पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

–: निर्णय :– **दिनांक : 27.09.2019**

वकुलाय उपस्थित। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों के लिखित पेश की गयी।

1. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगणों के विरूद्ध मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 एवं धारा 136 राजस्थान भू अधिनियम पेश किया हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सरहद जाखोड़ा, पटवार हल्का कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित गत खसरा नं. 723 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नं. 820 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय स्वर्गीय भीखसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत के नाम आई हुई थी। जो बाद में समेलसिंह पुत्र भीखसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। समेलसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् उक्त खातेदारी भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। गत खसरा नं. 723 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय जिसके भू–प्रबन्धक विभाग ने भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान हाल खसरा नं. 1453 रकबा 3.01 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज की है। भू–प्रबन्ध विभाग ने प्रार्थीगण के नाम 3.568 हैक्टर के स्थान पर मात्र 3.01 हैक्टर भूमि दर्ज की है। इस प्रकार भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा प्रार्थीगण के नाम 0.558 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गयी है। भू–प्रबन्ध विभाग ने गत जमाबन्दी व गत नक्शें के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शें का सही इन्द्राज नहीं किया है, इसी प्रकार खसरा मिलान क्षेत्रफल कभी मौका स्थिति एवं रेकर्ड अनुसार नहीं किया है।
2. भू प्रबन्ध विभाग ने प्रार्थी के गत खसरा नं. 723 के रकबे को हाल खसरा नं. बनाते वक्त खसरा नं. अप्रार्थी सं. 1 लागय 10 के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थीगण के पुराने कब्जे खातेदारी भूमि खसरा नं. 1458/1950 पर ही को राजकीय सरकारी खाते में गलत दर्ज किया है एवं जो भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी वो गलती से अप्रार्थी सं. 1 लगाय 10 के नाम दर्ज कर दी गयी। वर्तमान खसरा नं. 1453, 1457, 1458 की भूमि गत खसरा नं. 723 से बने नम्बरों की भूमि है। तथा अप्रार्थीगण के पूर्व खातेदारी की भूमि जो वर्तमान खसरा नं. 1458/1950 को राजकीय सरकारी भूमि मे गलत दर्ज किया है। जिससे मूल वाद के निस्तारण तक उपरोक्त भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगणों के पक्ष जारी की जावें।

3- वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थीगणों की पुश्तैनी खातेदारी भूमि गत खसरा नं. 724 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा से नये बने खसरा नं. 1457 रकबा 1.69 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नं. 1458 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म बारानी सोयम पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नं. 1458/1950 राजकीय सिवायचक भूमि है। जिस पर भी कब्जा काश्त अप्रार्थीगणों का है। अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की कृषि भूमि 1457, 1458 में सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा करीब एक बीघा भूमि कम दर्ज की दी गई। अप्रार्थीगणों की कृषि भूमि 1457, 1458 पर प्रार्थीगणों का कोई हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है। राजस्व रेकर्ड अनुसार वर्तमान खसरा नं. 1457 व 1458 के पुराने खसरा नं. 724 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी खतौनी संवत 2025 से 2028 के अनुसार प्रार्थीगणों की पुश्तैनी रही है। जो खातेदारी दौरान ए सैटलमेन्ट पुराने खसरा नं. 724 से बने नये खसरा नं. 1457 व 1458 में खतौनी संवत 2044 से 2047 रेकर्ड अनुसार बदुस्तर सही चली आ रही है। जिस भूमि में प्रार्थीगणों का सेटलमेन्ट से पूर्व नाम होना व दौरान सेटलमेन्ट प्रार्थीगणों का सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा नाम हटाया जाना या रकबा सम्मिलित किया जाना सरासर गलत एवं मनगठन्त है। प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड से परे गलत रूप से मनगठन्त तथ्य वर्णित करते हुए रकबा कम किया जाना एवं प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज करना सरासर गलत बताया है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 1457 व 1458 पर कब्जा काश्त करने की नियत रखते हुए अप्रार्थीगणों को राजकीय सिवायचक खसरा नं. 1458/1950 पर कब्जा करवाना चाहते है। जबकि खसरा नं. 1458/1950 राजकीय सिवायचक भूमि है। खसरा नं. 1457 व 1458 की भूमि प्रार्थीगणों का कोई हक हिस्सा नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। जो भूमि अप्रार्थीगणों की पुश्तैनी है, जिसे बेचान, हस्तान्तरण करने से रोकने का प्रार्थीगणों का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण सं. 1 लगाय 3, 5 लगाय 7 की ओर से प्रार्थी सं. 4 को वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अधिकृत करने बाबत कोई दस्तावेज साथ संलग्न नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है तथा इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें (1) 2014–15 (Supp) RRT Page 285, (2) 2014–(2) RRT Page 1301, (3) 2015 (1) RRT Page 633, (5) 2013 (2) RRT Page 828

पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस के तथ्यों एवं प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण की सेटलमेन्ट से पूर्व की खातेदारी एवं वर्तमान खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर का अप्रार्थीगण की भूमि के सेटलमेन्ट से पूर्व की खातेदारी एवं वर्तमान की खातेदारी भूमि कभी भी सामलाती नहीं रहीं है ना ही राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के खसरा मिलान एक रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पुराने खसरा नम्बर 723 के नये खसरा नम्बर 1453 एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पुराने खसरा नम्बर 724 के वर्तमान खसरा नम्बर 1457 एवं 1458 राजस्व रेकर्ड अनुसार अलग अलग खातेदारी दर्ज रही है। तथा दौरान ए सेटलमेन्ट प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों की भूमि पुराने रकबा के अनुसार कम दर्ज हुई है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों की खातेदारी कम की जाकर अप्रार्थीगणों की खातेदारी में सम्मिलित नहीं की गयी है। जिससे प्रथम दृष्टतया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है जिससे अप्रार्थीगण की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। राजस्व विविध पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **27.09.2019** को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner